न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 57/2023 निर्णय दिनांक 10/10/25
(जीसीएमएस संख्या 2023/350)

1. कन्हीराम पुत्र हुनमानराम जाति बिश्नोई साकिन चक 8 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट जरिये तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. भूपराम पुत्र मनीराम जाति बिश्नोई साकिन चक 8 बी.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 29—07—2022
उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला

उपस्थितः

1. श्री पुरूषोतम सारस्वत, अभिभाषक अपीलांटस्
2. श्री सुभाष बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2
3. श्री मिलापचंद धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला के निर्णय दिनांक 29—07—2022 जिसके द्वारा रिमाण्ड प्रकरण के जैरकार रहते अलग से प्रकरण दर्ज कर एकतरफा आदेश पारित किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि यह कि अपीलान्ट के पिता हनुमान पुत्र बृजलाल के नाम चक 8 बी.डी.ए के मु. न. 153/57 के कि.न. 1 ता 25 तादादी 25.00 बीघा कमाण्ड खातेदारी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दर्ज रही तथा उनके फौत बाद पारिवारिक बंटवारा अनुसार उक्त भूमि अपीलान्ट के नाम दर्ज हुई जिसमे कि.न. 16, 17, 21 ता 25 तादादी 07.00 बीघा इन्तकाल स. 158 दिनाक 10.06.19 को दर्ज हुआ जिस पर अपीलान्ट आवटन दिन से लेकर आज तक काबिज काश्त है एवं काफी खर्चा कर उक्त भूमि को खेती लायक बनाया है मौके पर ढाणी बनाकर सपरिवार मय पशुधन रहवास कर रहे है एवं समस्त भूमि अपीलान्ट के उपयोग–उपभोग में है। वर्तमान मे मुंग कटाई और ज्वार की फसल अच्छी खडी है। यही एक मात्र जिविकोपार्जन का साधन है। अपीलान्ट के पिता को वर वक्त आवटन 25.00 बीघा का कब्जा दिया गया और लम्बे अरसे से वही पर 47–48 वर्षो से काबिज काश्त है। और अपीलान्ट के पिता को पुर्ण 25 बीघा आवटन हुआ और समस्त किस्ते जमा करवाकर रकबा खातेदारी हुआ। अपीलान्ट ने समय समय पर समस्त लगान खजाना राज मे जमा करवाये है फिर भी अप्रार्थी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अपीलान्ट के हको पर कुठाराघात करते हुए उक्त रकबा के कि.न. 21 ता 25 मे प्रत्येक किला मे 2–2 बिस्वा रास्ता बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश स्वीकृत कर रिकार्ड मे दर्ज कर दिया। जबकि उक्त रास्ता आज दिनांक तक बंद ही है और कभी चालु नही रहा है और ना ही उक्त रास्ता की मौके पर जरूरत है रेस्पोडेन्ट को रास्ता लग रहा है इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के रकबे के चारो तरफ रास्ते है उक्त रास्ते की कही आवश्यकता और उपयोग आज तक नही रहा है मौके पर अपीलान्ट की मुंग व ज्वारं की फसल खडी है। रेस्पोडेन्ट स. 2 की मु.न. 153/ 58 मे भूमि है और मु.न. 153/57 के कि.न. 21 ता 25 मे पुर्व पश्चिम पक्का खाला बना है जिस पर कोई पुलिया भी नही है तो वैसे भी उसके काम का नही है। अपीलान्ट के पिता को जब पता चला कि रिकार्ड में उक्त कि.न. 21 ता 25 की 2–2 बिस्वा गैरमुमकिन रास्ता बिना सक्षम अधिकारिता दर्ज हुआ है तो उन्होंने एक प्रकरण स. 19/03 रास्ता खारीज व दुरस्ती का जिनाक 08.01.2003 को अधिनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसको पुर्ण सुनवाई कर तहसीलदार से रिपोर्ट लेकर दिनाक 24.09.03 को स्वीकार कर रास्ता खारीज कर दिया और उसकी पालना में इ.स. 57 से पुन खातेदार दर्ज हो गया तो इस आदेश के खिलाफ रेस्पोडेन्ट ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त में अपील पेश की जो स्वीकार हुई तो अपीलान्ट के पिता ने माननीय राजस्व मण्डल मे निगरानी पेश की जो आशिंक स्वीकार होकर निर्णय दिनाक 11.07.2011 से इस आदेश के साथ रिमाण्ड हुई की निर्णय दिनाक 24.09.03 और दिनाक 19.12.08 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्तानुसार मौका निरिक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर अपीलार्थी की और से प्रस्तुत प्रा.पत्र का विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए पुन निस्तारण करे। इस पर दिनाक 20.08.2015 को पत्रावली को इसी आदेश की पालना में पेशी में ली गई और खुल्लासा रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को लिखा गया लेकिन उक्त रास्ता किस आदेश से कटान हुआ, खातेदारी देने के बाद क्यो दर्ज हुआ और क्या खातेदार को कम्पनसेशन दिया गया और क्या उपयोगिता है इस बाबत आज दिनाक तक रिपोर्ट नही आई पिता के फौत बाद अपीलान्ट के हिस्से मे उक्त भूमि आ गई प्रकरण जैरकार रहा अपीलान्ट का पिता व अपीलान्ट 20 वर्षो से न्याय के लिए तत्पर है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने साठ गाठ कर रिमाण्ड प्रकरण के चलते अलग से एक आवेदन दिनाक 15.03.22 का भूपराम से लेकर प्रकरण स. 06/22 दर्ज कर एक पक्षीय दिखाकर मुल प्रकरण रिमाण्ड को दिनाक 25.07.22 को अदम पैरवी मे खारिज कर उक्त प्रकरण मे नियम विरूद्ध दिनाक 29.07.22 को आदेश जारी कर माननीय राजस्व मण्डल के आदेश के विपरीत निर्णय कर विवाद पैदा कर दिया है। रिमाण्ड प्रार्थना पत्र पुनः रिस्टोर होकर आज भी जैरकार है। प्रकरण संख्या 6/22 में पालना स्थगित रखने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेजा लाभ देने की नियत से रास्ता खुलवाने की कार्यवाही कर रहे है। अंतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर पारित किया है। उक्त आदेश की जानकारी होते ही अपीलांट ने दिनांक 5–12–2022 को ही अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड प्रार्थना पत्र को रेस्टोर करवाने का आवेदन कर दिया जिसको दिनांक 26–12–2022 को रेस्टोर कर दिया और प्रकरण संख्या 6/22 में भी प्रार्थना पत्र पेश कर पालना स्थगित कर लिखा था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की मंशा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बेजा फायदा देने की है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा है। जो शुरू से ही शुन्य है। अंतः अपीलांट का मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मियाद कंडोन कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने जवाब बहस में कथन किये कि अपीलांट के पिता हुनमान राम द्वारा वर्ष 2001 में एक वाद अन्तर्गत धारा 88,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

89, 188 के तहत प्रस्तुत किया गया था जो कि 2003 में विड्रो कर लिया गया उसके पश्चात एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 (2) राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 24–09–2003 को प्रार्थना पत्र मंजूर कर मुरब्बा नम्बर 153/57 के किला नम्बर 21 ता 25 के रास्ते के अंकन को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में चुनौती पेश होने पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11–07–2011 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 24–09–2003 व 19–12–2008 को निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। अपीलांट रिमाण्ड प्रकरण में उपस्थित नही होने पर रिमाण्ड प्रकरण अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। रिमाण्ड प्रकरण खारिज होने पर हमारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 144 सीपीसी स्वीकार किया गया व रास्ता खोलने की कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिवत् निर्णय है। अंतः अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने मियाद प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किये कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट तौर पर मियांद बाहर है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में जो विलम्ब के कारण दिये गये है वो संतोषजनक नहीं है। अतः अपीलांट मियांद अधिनियम के तहत छूट पाने के अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद एवं गुणावगुण पर खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रकरण में जहां तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 29–07–2022 के विरूद्ध अपील दिनांक 15–09–2023 को प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ में धारा 5 मियादं अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी से अपील अंदर मियांद प्रस्तुत किया जाना अंकित किया है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट का कथन है कि अपीलांट ने जान बूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दुओं की जगह गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। विधि की भी यही मंशा है

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कि केवल मात्र तकनीकी बिन्दु अथवा पक्षकार की अज्ञानता में कोई न्याय से वंचित नहीं रहना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जाती है।

6. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24–09–2003 द्वारा अपीलाधीन भूमि में रास्ते के अंकन को निरस्त कर प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये थे।

यह तथ्य भी निर्विवाद है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 11–07–2011 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–09–2003 निरस्त कर प्रकरण पुनः इन निर्देशो के साथ प्रेतिप्रेषित किया गया कि मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रार्थना पत्र का विधि सम्मत प्रकिया अपनाते हुए पुनः निस्तारण करे।

अधीनस्थ न्यायालय को माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 11–07–2011 की पालना में प्रकरण का मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः विधिसम्मत निस्तारण करना चाहिए था जिसमें गुणावगुण पर यह तय किया जाना था कि अपीलाधीन भूमि को रास्ते के रूप में अंकन किया जाना है अथवा प्रार्थी की खातेदारी भूमि के रूप में।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय की पालना सुनिश्चित नही की गई और रिमाण्ड प्रकरण को अदम पैरवी में खारिज कर अपीलाधीन आदेश अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी पारित किया गया।

धारा 144 का प्रार्थना पत्र मूल प्रकरण संख्या 19/2003 में प्रस्तुत किया जाना था और इसका निर्णय भी इसी प्रकरण के साथ किया जाना था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल प्रकरण संख्या 19/2003 को अदम पैरवी में खारिज कर धारा 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को पृथक से प्रकरण संख्या 6/22 दर्ज कर उसमें अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया।

धारा 144 सीपीसी के तहत पूर्व स्थिति की बहाली तब की जा सकती है जबकि कोई आदेश अंतिम हो चुका हो। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया था। इस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण को माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर विधि सम्मत प्रकिया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णित किया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है।

अंतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक **29–07–2022** निरस्त किया जाता है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 11–07–2011 की पालना में मूल प्रकरण 19/2003 में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 10/10/25 को लिखाया सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर